

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन जयपुर

क्रमांक:-एफ.वी.64(1)/प्रजनन/खराब जारों का निस्तारण पार्ट-1/2018-19/

दिनांक:-

कार्यालय आदेश

विभाग के जिला कार्यालयों के भण्डार में रखे विभिन्न प्रकार के परिवहन/भण्डारण/वीर्य भण्डारण के काम में आने वाले तरल नत्रजन जारों को अनुपयोगी/नकारा घोषित करने के लिए सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम पार्ट-II के नियम 16 से 27 एवं वित्त विभाग (सा.वि. एवं लेखा नियम अनुभाग) के परिपत्र दिनांक 17.09.2021 के अनुसरण में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड-I, भाग-III वित्तीय शक्तियों को प्रत्यायोजना में भाग-I वित्तीय मामले के क्रम संख्या 11 (ख) पर वर्णित प्रावधान के अनुसार निम्नानुसार सर्वे कमेटी का गठन किया जाता है :-


- | | |
|---|------------|
| 1. अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्र, पशुपालन विभाग (संबंधित क्षेत्र) | अध्यक्ष |
| 2. जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग (संबंधित जिला) | सदस्य-सचिव |
| 3. उपनिदेशक, पशुधन विकास (संबंधित जिला) | सदस्य |
| 4. रुपये 10.00 लाख से कम पुस्तक मुल्यों के मामले में, सहायक लेखाधिकारी- द्वितीय | सदस्य |
| 5. तकनीकी अधिकारी (जिला कलक्टर द्वारा नामित मैकेनिकल इंजीनियर) | सदस्य |

उक्त कमेटी द्वारा ऐसे निरीक्षण के लिए प्रमाण पत्र अभिलिखित किया जायेगा तथा वस्तुओं की एक सूची प्रस्तुत की जायेगी। निस्तारण योग्य तरल नत्रजन जारों का परीक्षण कर सा.वि एवं लेखा नियमों के अनुरूप निर्धारित प्रमाण-पत्र सहित एस.आर- 5 एवं 6 में अपनी रिपोर्ट 15 दिवस में आवश्यक रूप से निदेशालय की ई-मेल आई.डी. ddah_bg@yahoo.in एवं Breeding.AH@Rajasthan.gov.in हार्ड कॉपी में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।


निदेशक

क्रमांक:-एफ.वी.64(1)/प्रजनन/खराब जारों का निस्तारण पार्ट-1/2018-19/2217-2261 दिनांक:- 28-09-21
प्रतिलिपि:- निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ-

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, निदेशालय पशुपालन, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय पशुपालन, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करावें।
5. संभागीय अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान को भेजकर लेख है कि कार्य की महत्वता को देखते हुए व्यक्तिगत रूप से मोनेटरिंग करते हुए इसे निर्धारित अवधि में संपादित करें।
6. समस्त जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
7. संबंधित उपनिदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
8. रक्षित पत्रावली।


निदेशक

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन जयपुर

क्रमांक:-एफ.वी.64(1)/प्रजनन/खराब जारों का निस्तारण पार्ट-1/2018-19/

दिनांक:-

कार्यालय आदेश

विभाग के जिला कार्यालयों के भण्डार में रखे विभिन्न प्रकार के परिवहन/भण्डारण/वीर्य भण्डारण के काम में आने वाले तरल नत्रजन जारों को अनुपयोगी/नकारा घोषित करने के लिए सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम पार्ट-II के नियम 16 से 27 एवं वित्त विभाग (सा.वि. एवं लेखा नियम अनुभाग) के परिपत्र दिनांक 17.09.2021 के अनुसरण में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड-I, भाग-III वित्तीय शक्तियों को प्रत्यायोजना में भाग-I वित्तीय मामले के क्रम संख्या 11 (ख) पर वर्णित प्रावधान के अनुसार निम्नानुसार सर्वे कमेटी का गठन किया जाता है :-


- | | |
|--|------------|
| 1. अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्र, पशुपालन विभाग (संबंधित क्षेत्र) | अध्यक्ष |
| 2. जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग (संबंधित जिला) | सदस्य-सचिव |
| 3. उपनिदेशक, पशुधन विकास (संबंधित जिला) | सदस्य |
| 4. रूपये 10.00 लाख या इससे अधिक पुस्तक मूल्य के मामले में सहायक लेखाधिकारी-प्रथम | सदस्य |
| 5. तकनीकी अधिकारी (जिला कलक्टर द्वारा नामित मैकेनिकल इंजीनियर) | सदस्य |

उक्त कमेटी द्वारा ऐसे निरीक्षण के लिए प्रमाण पत्र अभिलिखित किया जायेगा तथा वस्तुओं की एक सूची प्रस्तुत की जायेगी। निस्तारण योग्य तरल नत्रजन जारों का परीक्षण कर सा.वि एवं लेखा नियमों के अनुरूप निर्धारित प्रमाण-पत्र सहित एस.आर- 5 एवं 6 में अपनी रिपोर्ट 15 दिवस में आवश्यक रूप से निदेशालय की ई-मेल आई.डी. ddah.bg@yahoo.in एवं Breeding.AH@Rajasthan.gov.in हार्ड कॉपी में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।


निदेशक

क्रमांक:-एफ.वी.64(1)/प्रजनन/खराब जारों का निस्तारण पार्ट-1/2018-19/2363- दिनांक:-28-09-2021
प्रतिलिपि:- निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ- 2307

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, निदेशालय पशुपालन, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय पशुपालन, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. संभागीय अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान को भेजकर लेख है कि कार्य की महत्वता को देखते हुए व्यक्तिगत रूप से मोनेटरिंग करते हुए इसे निर्धारित अवधि में संपादित करें।
6. समस्त जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
7. संबंधित उपनिदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
8. रक्षित पत्रावली।


निदेशक